

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 4479  
19.07.2019 को उत्तर के लिए

असम में वन क्षेत्र में अवैध कोयला खनन

4479. श्री प्रद्युत बोरदोलोई :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ऊपरी असम के तिनसुखिया जिले में सत्रह आरक्षित वनों और एक वन्यजीव अभयारण्य को संगठित कोयला माफिया द्वारा वर्षा वनों को साफ कर और अंधाधुंध 'रैट होल कोल माइनिंग' करके लूटा गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने प्रौद्योगिकी की मदद से वन क्षेत्रों में इस तरह के अवैध कोयला खनन को रोकने की पहल की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री  
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) असम राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, असम के तिनसुखिया जिले के डिगबोई वन प्रभाग में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले का खनन किया जाता रहा है।

डिगबोई प्रभाग के कुछ आरक्षित वनों (आरएफ) और प्रस्तावित आरक्षित वनों (पीआरएफ) में काफी समय से रैट-होल माइनिंग के रूप में कोयले का अवैध रूप से खनन किया जाता रहा है। जिन आरएफ और पीआरएफ में 10 वर्ष से अधिक समय की अवधि में इस प्रकार की रैट-होल माइनिंग होती पायी गई है, वे निम्नानुसार हैं :

| क्र.सं. | आरक्षित वन (आरएफ) का नाम | प्रस्तावित आरक्षित वन (पीआरएफ) का नाम |
|---------|--------------------------|---------------------------------------|
| 1       | नम्फाई                   | टिपोंग                                |
| 2       | टिंकोपानी                | तिरप                                  |
| 3       | तिरप                     | सलेकि                                 |
| 4       | टिपोंग                   |                                       |
| 5       | लेखापानी                 |                                       |

यह स्थिति अत्यधिक दुर्गम प्रदेश, अंतर राज्यीय सीमा संबंधी मुद्दों और अपराधियों की प्रतिरोधी प्रकृति जैसे अनेक कारणों से और अधिक गम्भीर हो गई है।

(ग) और (घ) अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए असम वन विभाग द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जाते हैं :-

- i. प्रभावित वन प्रभागों में असम वन सुरक्षा बल के सशस्त्र कार्मिकों की तैनाती करना।
- ii. सरकार के समकक्ष विभागों तथा पुलिस, सिविल प्रशासन आदि जैसे संबंधित अभिकरणों को शामिल करके समन्वित प्रयास करना।
- iii. उपग्रह चित्रणों का उपयोग करके अवैध कार्यों की निगरानी और आकलन करना।
- iv. आरक्षित वन क्षेत्रों में अवैध खनन के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए जीआइएस प्रणाली का उपयोग करना और प्रभावित स्थानों की जीपीएस के साथ रिकॉर्डिंग करना तथा डिजिटाइज्ड मानचित्रों पर उनकी प्लॉटिंग करना।
- v. वाहनों और मशीनरी को जब्त करना तथा अवैध कोयला खनन में लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करना।

\*\*\*\*